फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

16-08-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–274/2008, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री अनिल कुमार,** पिता–रामानन्द शर्मा, सा0–लखनीबाग, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना में आयुक्त न्यायालय के द्वारा आवेदन पर 6 (छः) माह के अन्दर पुनर्विचार करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आलोक में प्राप्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–1018/2007 कायम करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे सिविल कोर्ट, मसौढ़ी में वकालत करते हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के भाई मधु शर्मा की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसके संदर्भ में मसौढ़ी कांड सं0–199/2005 दर्ज है। आवेदक वकालत के द्वारा उग्रवादियों को सजा दिलवाते हैं। इन्हें उग्रवादियों एवं नक्सलियों से धमकी मिल रही है। उग्रवादियों के कारण अपना पैतृक गाँव छोड़कर मसौढ़ी बाजार में रह रहें है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–2138/गो0, दिनांक–22.12.2007 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा थानाध्यक्ष, मसौढ़ी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में उक्त दोनों शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र प्राप्त है। थानाध्यक्ष, मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सिविल कोर्ट, मसौढ़ी में वकालत करते हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के भाई मधु शर्मा की हत्या उग्रवादियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसके संदर्भ में मसौढ़ी कांड सं0–199/2005 दर्ज है। आवेदक वकालत के द्वारा उग्रवादियों को सजा दिलवाते हैं। इन्हें उग्रवादियों से धमकी मिल रही है। उग्रवादियों के कारण अपना पैतृक गाँव छोड़कर मसौढ़ी बाजार में रह रहें है। तदोपरान्त आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अनिल कुमार, पिता–रामानन्द शर्मा, सा0–लखनीबाग, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।